



- आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है—हवाई अड्डा निदेशक देवेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यटन आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- दक्षिण अंडमान जिले में बिना वैध लाइसेंस के होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट को संचालित करने की अनुमति नहीं है।
- दक्षिण अंडमान जिले में आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों को किराए या उप-किराए पर देने से पहले इसमें रहने वाले लोगों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देने को कहा गया है।
- गरीबी रेखा से ऊपर अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले समूह के बचे हुए राशन कार्ड लाभार्थियों से इक्कतीस अक्टूबर तक ई-केवाई सी कराने का एक बार फिर अनुरोध किया गया है।
- सरकार ने नागरिकों की आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।



आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल सत्ताईस सितम्बर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है— पर्यटन और शांति। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में भी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। हवाई अड्डे, जेट्टियों में आज पहुंचने वाले आगन्तुकों का स्वागत किया गया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारतीय विमानन प्राधिकरण, विमान कम्पनियों, सी आई एस एफ और हवाई अड्डे में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों की ओर से पर्यटन के महत्व, इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। हवाई अड्डा निदेशक देवेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यटन आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए निवेश

भी किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सोलह नवम्बर से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन भी शुरू करने की योजना है। यह द्वीपसमूह में पर्यटन के लिए एक नया अवसर खोलेगा।

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले में राष्ट्र विरोधी ताकतों के संदिग्ध गैर गतिविधियों को रोकने और जनता तथा उनकी सम्पत्तियों की रक्षा के लिए जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की ओर से सभी होटल, आतिथि आवासों, लॉज और होम स्टे मालिकों के लिए लिखित आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें ही जिले में संचालित करने की अनुमति है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में समुचित मात्रा में सीसी टीवी कैमरा भी होने चाहिए, जिसके जरिए लोगों के परिसरों में प्रवेश और निकासी का पता चल सके। सभी कैमरा कार्य करने की स्थिति में हो और कवरेज को कम से कम तीस दिनों तक संरक्षित रखना होगा। ऐसे सभी संस्थानों को परिसर में रहने वाले लोगों के बारे में पूर्ण जानकारी रखने के लिए रजिस्टर भी बनाए रखना होगा और संबंधित लोगों की वैध पहचान की कॉपी भी रिकॉर्ड के लिए रखनी होगी। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को फार्म सी भरकर निर्धारित अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा। यह आदेश पच्चीस सितम्बर से लागू हो गया है, जो अगले साठ दिनों तक जारी रहेगा। आदेश में इसका पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा दो सौ आठ के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले में आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों को किराए या उप-किराए पर देने से पहले इसमें रहने वाले लोगों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि इस निर्णय से असामाजिक तत्वों के भागने या छिपने पर रोक लगाया जा सकता है और इससे लोगों की सुरक्षा तथा जिले में शांति को भी कायम किया जा सकेगा। आदेश के तहत किसी भी मकान मालिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक या मालिकों को किराएदारों या पेईंग गेस्ट को रखने से पहले स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। नौकर के संबंध में भी यह आदेश लागू होगा। आदेश पच्चीस सितम्बर से लागू हो गई है और अगले साठ दिनों तक लागू रहेगी।

<><><><><><><><>

गरीबी रेखा से ऊपर अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले समूह के बचे हुए राशन कार्ड लाभार्थियों से इक्कीस अक्टूबर तक ई-के वाई सी कराने का एक बार फिर अनुरोध किया गया है।



